भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *543

उत्तर देने की तिथि-02/04/2026

जनजातीय आबादी के लिए विकास योजनाएं

***543. श्री भजन लाल जाटव:**

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करौली और धौलपुर जिलों में जनजातीय आबादी के लिए पर्याप्त संख्या में छात्रावास और आश्रम विद्यालय संचालित/उपलब्ध हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त जिलों में जनजातीय लोगों के लिए कौशल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) क्या उक्त जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने/अनुमोदित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) अनुसूचित जनजाति उप-योजना के तहत आवंटित की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) क्या सरकार का विचार जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए कोई विशेष विकास पैकेज शुरू करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

.'**जनजातीय आबादी के लिए विकास योजनाएं**' के संबंध में 02.04.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *__543__ के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" (डीएजेजीयूए) नामक एक विशेष बृहद (मेगा) बहु-क्षेत्रीय मिशन का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) सहित 17 मंत्रालयों के 25 उपायों वाली योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से जनजातीय गांवों में जनजातीय आबादी का समग्र और सतत विकास करना है। मिशन का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच और कौशल में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में राजस्थान राज्य के जिलों के 7189 गांवों सहित 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जनजातीय बहुल गांवों के 549 जिलों के कुल 63,843 गांव और 2,911 ब्लॉक शामिल हैं। **करौली और धौलपुर जिले डीएजेजीयूए जिला सूची में शामिल हैं।**

उक्त योजना के तहत, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नए छात्रावासों और आश्रम स्कूलों का निर्माण और मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन किया जाता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राजस्थान राज्य सरकार, संबंधित लाइन विभागों, जिला प्राधिकारियों (प्रधिकरणों) और अधिकारियों के परामर्श से प्रस्तावों को प्राथमिकता देती है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को इस उद्देश्य के लिए गठित परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। **राजस्थान के करौली जिले के एक आश्रम स्कूल में अतिरिक्त कक्षा का एक प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त हुआ था।** हालांकि, राजस्थान राज्य से धौलपुर जिले के लिए छात्रावासों और आश्रम स्कूलों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) जनजातीय आबादी को कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय/गतिविधि को क्रियान्वित (लागू) करता है। 1000 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के प्रशिक्षण के लिए देश भर में 30 कौशल केंद्रों का एक मिशन लक्ष्य है। 1131 बैचों में 22,768 लाभार्थियों के नामांकन के साथ देश भर के 30 जिलों में 30 जनजातीय कौशल केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 300 वीडीवीके को मंजूरी दी गई है और 264 वीडीवीके में प्रगति है। राजस्थान राज्य में एक स्वीकृत कौशल केंद्र है जिसका उद्घाटन जयपुर में किया गया है।

(ग) 28.02.2026 तक, देश भर में, 723 ईएमआरएस स्वीकृति किए गए हैं / संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है। इनमें से 499 ईएमआरएस क्रियाशील हैं, 400 ईएमआरएस भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है और 323 निर्माणाधीन हैं।

01 ईएमआरएस (ईएमआरएस रानोली) को राजस्थान के करौली जिले, टोडाभीम ब्लॉक में मंजूरी दी गई है और राज्य समिति (सोसाइटी) की रिपोर्ट के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में कुल 311 छात्रों के नामांकन के साथ उक्त ईएमआरएस कार्यशील है।

राजस्थान के धौलपुर जिले में किसी भी ईएमआरएस को मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि जिले का कोई भी ब्लॉक ईएमआरएस की स्थापना के लिए उपर्युक्त दोहरे मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

(घ) पिछले दो वर्षों (2023-24 और 2024-25) के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे **अनुलग्नक 1** के अनुसार हैं।

(ङ) वर्तमान में, जनजातीय कार्य मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक I

02.04.2026 को उत्तर के लिए "जनजातीय आबादी के लिए योजनाएं" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 543 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत मंत्रालय द्वारा हाल के वित्तीय वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों और लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार हैः

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत निधियों के ब्यौरेः

* राज्य ने अपने स्वयं के कोष से योजना को लागू किया

अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधि और लाभार्थियों के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वित्त वर्ष 2023-24**			**वित्त वर्ष 2024-25**			**वित्त वर्ष 2025-26**		
		जारी निधि	**उपयोग किया गया**	**जारी निधि**	**जारी निधि**	**उपयोग किया गया**	**जारी निधि**	**जारी निधि**	**उपयोग किया गया**	**जारी निधि**
1	अंडमान और निकोबार	-	-	173	0.10	0.10	281	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	57.00	57.00	0	30.77	30.77	0	-	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	2852	-	-	2831	-	-	-
4	असम	1.88	1.88	4353	1.00	1.00	8075	-	-	-
5	बिहार	-	-	8451	-	-	15139	-	-	16820
6	छत्तीसगढ़	52.50	52.50	44837	-	-	27171	-	-	39476

7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	1273	-	-	1162	-	-	-
8	गोवा	0.53	0.53	1670	0.36	0.36	1698	-	-	-
9	गुजरात	62.00	62.00	121083	9.23	9.23	124886	-	-	-
10	हिमाचल प्रदेश	1.10	1.10	2616	-	-	3260	0.93	-	3520
11	जम्मू और कश्मीर	-	-	2548	-	-	8371	1	-	12974
12	झारखंड	57.00	57.00	114519	-	-	129142	-	-	0
13	कर्नाटक	34.00	34.00	97191	7.00	7.00	104211	13.94	-	109365
14	केरल	4.36	4.36	8331	1.00	1.00	10980	0.75	-	0
15	लद्दाख	-	-	2228	0.40	0.40	2029	1	-	2207
16	मध्य प्रदेश	-	-	259997	53.05	53.05	212347	75.87	-	260118
17	महाराष्ट्र*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मणिपुर	-	-	3470	-	-	3916	-	-	-
19	मेघालय	-	-	5590	0.70	0.70	6149	5.06	-	8742
20	मिजोरम	3.07	3.07	8911	-	-	8807	2.73	-	9300
21	नागालैंड							-	-	0
22	ओडिशा	-	-	106691	29.50	29.50	122029	43.55	-	125832
23	पुडुचेरी	-	-	11	-	-	14	-	-	-
24	राजस्थान	-	-	76272	22.36	22.36	57037	-	-	59888
25	सिक्किम	-	-	62	-	-	377	0.04	-	509
26	तमिलनाडु	3.62	3.62	17557	0.60	0.60	19178	8.13	-	19514
27	तेलंगाना	1.50	1.50	2460	0.00	0.00	-	-	-	-

28	त्रिपुरा	-	-	11601	6.92	6.92	12597	2.23	-	13857
29	उत्तर प्रदेश	-	-	2329	-	-	3211	-	-	-
30	उत्तराखंड	0.15	0.15	902	0.70	0.70	812	-	-	-
31	पश्चिम बंगाल	29.89	29.89	21789	-	-	24333	-	-	974
	कुल	**308.60**	**308.60**	**929767**	**163.69**	**163.69**	**910043**	**155.23**	-	**683096**

***राज्य ने अपनी स्वयं की निधि से योजना लागू की**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निधियों के ब्यौरेः

अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधि और लाभार्थियों के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वित्त वर्ष 2023-24**			**वित्त वर्ष 2024-25**			**वित्त वर्ष 2025-26**		
		जारी निधि	**उपयोग किया गया**	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**उपयोग किया गया**	**लाभार्थी**	**जारी निधि**	**उपयोग किया गया**	**लाभार्थी**
1	अंडमान और निकोबार	-	-	193	0.10	-	311	0.00	-	0
2	आंध्र प्रदेश	114.71	114.71	79780	120.00	120.00	67888	184.08	-	93225
3	अरुणाचल प्रदेश	80.00	80.00	42417	100.00	100.00	45125	100.01	-	49638
4	असम	35.00	35.00	58774	79.71	79.71	77350	0.00	-	0
5	बिहार	-	-	1444	4.43	4.43	3428	0.00	-	3771
6	छत्तीसगढ़	71.25	71.25	40552	70.00	70.00	34022	81.78	-	119804
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4.04	4.04	1053	4.90	4.90	1627	0.00	-	0
8	गोवा	5.27	5.27	3274	5.00	5.00	3163	5.31	-	3240
9	गुजरात	350.00	350.00	226456	231.22	231.22	233161	1,080.14	-	220000
10	हिमाचल प्रदेश	-	-	4390	5.00	5.00	4937	15.25	-	5416
11	जम्मू और कश्मीर	7.46	7.46	7319	9.95	9.95	15309	14.02	-	23159
12	झारखंड	53.11	53.11	148676	200.00	200.00	65104	0.00	-	165000
13	कर्नाटक	225.56	225.56	123707	125.00	125.00	125823	246.27	-	132874
14	केरल	46.89	46.89	13731	29.00	29.00	13034	62.36	-	13509
15	लद्दाख	5.96	5.96	9413	35.00	35.00	8969	35.08	-	10215
16	मध्य प्रदेश	350.00	350.00	353486	250.00	250.00	326410	558.28	-	710910
17	महाराष्ट्र	570.36	570.36	139165	117.81	117.81	144785	379.09	-	146554

18	मणिपुर	30.00	30.00	33542	25.00	25.00	32275	27.07	-	37116
19	मेघालय	85.00	85.00	76755	145.08	145.08	73902	236.00	-	81292
20	मिजोरम	25.00	25.00	31685	24.00	24.00	28471	46.35	-	31254
21	नागालैंड	35.00	35.00	42485	62.00	62.00	41793	23.10	-	48059
22	ओडिशा	135.64	135.64	213957	294.00	294.00	230366	562.59	-	252391
23	पुडुचेरी	-	-	11	0.00	0.00	10	0.00	-	0
24	राजस्थान	220.00	220.00	168516	350.00	350.00	-	114.99	-	164475
25	सिक्किम	-	-	1849	6.00	6.00	2411	6.07	-	0
26	तमिलनाडु	20.00	20.00	25216	25.00	25.00	28273	26.33	-	31239
27	तेलंगाना	112.50	112.50	131505	152.50	152.50	131032	0.00	-	0
28	त्रिपुरा	40.00	40.00	33678	74.94	74.94	33506	42.73	-	36855
29	उत्तर प्रदेश	10.00	10.00	9676	15.00	15.00	10427	0.00	-	0
30	उत्तराखंड	1.88	1.88	3972	2.70	2.70	3853	7.45	-	4429
31	पश्चिम बंगाल	34.06	34.06	37760	35.00	35.00	29528	0.00	-	0
	कुल	**2668.69**	**2668.69**	**2064437**	**2598.34**	**2598.34**	**1816293**	**3,854.36**	-	**2384425**

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान (परंतुक) के तहत वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान जारी की गई निधियां और राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता निम्नानुसार है (लाख रुपये में):

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी निधियां	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिपोर्ट की गई उपयोगिता	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी निधियां	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिपोर्ट की गई उपयोगिता	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी निधियां	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट की गई उपयोगिता
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	9841.55	0.00	3282.05	एनए
2	अरुणाचल प्रदेश	6740.00	6740.00	10030.00	0.00	6362.50	एनए
3	असम	3294.12	1978.52	4286.23	1600.00	3413.85	एनए
4	बिहार	871.24	614.88	524.00	149.01	1230.57	एनए
5	छत्तीसगढ़	15676.77	6310.26	14506.46	0.00	4232.43	एनए
6	गोवा	150.00	0.00	479.91	72.35	367.79	एनए
7	गुजरात	4584.77	3383.94	2727.27	1325.32	7514.00	एनए
8	हिमाचल प्रदेश	1696.45	456.95	2244.23	1573.78	632.15	एनए
9	झारखंड	14299.82	1960.42	5147.06	0.00	0.00	एनए
10	कर्नाटक	4070.00	377.56	4730.26	0.00	0.00	एनए
11	केरल	1910.44	0.00	395.81	0.00	0.00	एनए
12	मध्य प्रदेश	15741.70	6680.32	9183.585	199.22	5038.55	एनए
13	मणिपुर	2456.35	2150.93	1981.32	1006.00	1784.89	एनए
14	मेघालय	3127.29	2958.18	2217.40	0.00	3466.79	एनए
15	मिजोरम	2897.97	2437.76	2143.80	141.20	3393.56	एनए
16	नागालैंड	5020.11	4118.63	2050.50	0.00	1759.59	एनए
17	ओडिशा	6870.56	2001.08	10107.95	0.00	10976.03	एनए
18	राजस्थान	8940.07	6846.31	4626.61	2776.93	6206.73	एनए
19	सिक्किम	1754.38	1639.85	4485.06	632.92	596.35	एनए
20	तमिलनाडु	650.49	0.00	2019.665	481.64	800.00	एनए
21	तेलंगाना	5169.00	5169.00	13797.00	0.00	3526.00	एनए
22	त्रिपुरा	4226.39	3517.27	4151.82	1641.14	895.09	एनए
23	उत्तराखंड	1353.63	0.00	1829.90	0.00	522.06	एनए
24	उत्तर प्रदेश	964.05	939.20	0.00	0.00	775.15	एनए
25	पश्चिम बंगाल	4744.40	3750.38	3549.61	1936.54	2833.76	एनए
कुल		**117210**	**64031.42**	**117057**	**13536.05**	**69609.89**	एनए

*अनंतिम

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता /प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी की गई निधियों की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2023-24		2024-25*		2025-26	
		कुल निर्मुक्ति	यूसी प्राप्त	कुल निर्मुक्ति	यूसी प्राप्त	(यूसी) प्रतीक्षित	2025-26 में एसएनए एसपीएआरएसएच पर चुकता (बंद) किए गए बिल
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	3551.17	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0.00
3	असम	7182.38	7182.38	5186.19	3591.19	2533.35	938.35
4	बिहार	0	0	0	0	1272.08	0.00
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	18389.92	0.00
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	173.23	0.00
7	गोवा	0	0	0	0	0	0.00
8	गुजरात	0	0	0	0	7446.09	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	207.0375	207.04
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0.00
11	लद्दाख	0	0	0	0	0.002	0.00
12	झारखंड	0	0	0	0	18327.73	0.00
13	कर्नाटक	0	0	0	0	823.59	726.81
14	केरल	61.19	0	30	0	56.08	0.00
15	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	8427.29	0.00
16	महाराष्ट्र	0	0	0	0	5804.598	0.00

17	मणिपुर	0	0	0	0	298.47	0.00
18	मेघालय	0	0	0	0	1323.07	0.00
19	मिजोरम	1112.01	1112.009	1468	1468	934.01	934.01
20	नागालैंड	0	0	3827.44	3827.43	1926.74	1926.73
21	ओडिशा	3044.42	1380.15	0	0	4868.933	2238.58
22	राजस्थान	0	0	0	0	2073.925	0.00
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0.00
24	तमिलनाडु	855.805	854.27	461.37	0	673.7448	662.44
25	तेलंगाना	0	0	1646	1646	0	0.00
26	त्रिपुरा	2737.23	2425.01	0	0	169.89	0.00
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0.00
28	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	1288.74	0.00
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0.00
कुल		**14993**	**12953.82**	**12619**	**10532.62**	**80569.69**	**7633.96**

. *अनंतिम

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान निधियन/जारी निधियों के ब्यौरे			
राज्य	**2023-24**	**2024-25***	**2025-26**
आंध्र प्रदेश	92,19,195	2,49,08,336	1,33,43,336
अरुणाचल प्रदेश	2,05,73,970	6,39,09,130	4,89,16,036
असम	1,21,74,669	2,84,47,458	2,15,59,020
छत्तीसगढ़	1,40,64,345	2,50,83,435	44.36,253
दिल्ली	-	17,41,684	5,83,764
गुजरात	2,99,16,753	3,38,78,601	2,70,65,175
हिमाचल प्रदेश	4,37,21,847	5,78,27,196	40,78,917
जम्मू और कश्मीर	-	49,27,900	43,750
झारखंड	9,18,75,560	26,66,31,494	7,96,29,697
कर्नाटक	2,47,33,453	5,20,86,241	3,35,45,260
केरल	7,52,581	1,86,74,546	1,94,34,001
लद्दाख	84,53,665	1,81,79,325	57,10,052
मध्य प्रदेश	9,75,55,785	14,38,54,200	6,22,55,070
महाराष्ट्र	10,47,52,678	15,50,50,058	8,39,26,194
मणिपुर	4,06,08,780	6,57,29,456	3,42,31,394
मेघालय	9,14,83,144	20,17,33,500	13,47,52,079
मिजोरम	38,69,288	1,58,84,697	40,47,167
नागालैंड	-	-	7,85,475
ओडिशा	40,95,84,484	28,85,47,778	27,79,01,308
राजस्थान	2,17,67,514	4,98,95,356	2,69,55,114
सिक्किम	53,15,775	1,17,10,789	35,28,135
तमिलनाडु	3,77,29,224	1,89,10,022	3,21,24,994
तेलंगाना	96,97,708	2,08,03,209	43,54,111
त्रिपुरा	42,08,501	1,86,63,129	1,32,78,446
उत्तर प्रदेश	51,02,760	1,40,36,096	42,13,639
उत्तराखंड	44,30,032	98,68,091	8,49,106
पश्चिम बंगाल	11,67,79,436	13,90,18,273	2,98,41,635
कुल	**1,20,83,71,147**	**1,75,00,00,000**	**97,13,89,128**

*अनंतिम

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए लाभार्थियों का विवरण

राज्य	2023-24	2024-25*	2025-26
आंध्र प्रदेश	39963	41324	41324
अरुणाचल प्रदेश	233564	25933	13038
असम	44174	86573	-
छत्तीसगढ़	11818	11665	-
दिल्ली	50	-	-
गुजरात	44321	69650	41908
हिमाचल प्रदेश	1292	1292	-
जम्मू और कश्मीर	140	-	-
झारखंड	170439	138865	44330
कर्नाटक	49330	70359	42102
केरल	93886	91596	23681
लद्दाख	606	5025	-
मध्य प्रदेश	4652	3341	1450
महाराष्ट्र	27938	37040	10709
मणिपुर	15357	16043	900
मेघालय	65571	120752	71900
मिजोरम	6415	6514	-
नागालैंड	-	57	-
ओडिशा	33511	46559	19369
राजस्थान	2084	1319	562
सिक्किम	274	174	-
तमिलनाडु	79911	95909	62645
तेलंगाना	7989	8333	7995
त्रिपुरा	765	755	494
उत्तर प्रदेश	234	234	100
उत्तराखंड	199	127	-
पश्चिम बंगाल	136637	130990	42943
कुल योग	**1071120**	**1010429**	**425450**

एनएसटीएफडीसी द्वारा संवितरित ऋण की राशि और लाभार्थी: (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2023-24		2024-25*		2025-26	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5551.49	27221	6039.21	12899	5	750
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	25.77	13	17.88	17	0	0
4	असम	40.02	43	24.24	21	5	341
5	बिहार	3.06	3	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	227.29	503	499.43	4837	784.31	3439
7	दादरा और नगर हवेली	4.55	6	0	0		
8	गोवा	0.22	1	0	0		
9	गुजरात	2810.12	11848	4931.39	18461	2335.64	7831
10	हरियाणा			0	0		
11	हिमाचल प्रदेश	2.19	2	30.6	33	232.03	549
12	जम्मू और कश्मीर	295.19	106	1102.49	409	1522.60	476
13	झारखंड	684.25	1703	247.45	135	897.53	997
14	कर्नाटक	853.41	1003	1854.44	1368	10	390
15	केरल	446.74	258	684.8	567	481.18	718
16	लक्षद्वीप			73.53	13		
17	मध्य प्रदेश	1759.58	828	1660.72	1582	1872.10	1522
18	महाराष्ट्र	2523.52	1528	567.76	1005	2032.77	1607
19	मणिपुर	235.49	174	102.8	65	22.70	20
20	मेघालय	475.91	1193	298.09	112	433.09	1474
21	मिजोरम	6856.69	4573	6948.28	3529	4175.70	1487
22	नागालैंड	1199.77	771	627.08	282	0	0
23	ओडिशा	362.35	17025	883.56	15045	153.00	7524
24	राजस्थान	712.22	885	130.16	1091	0	0
25	सिक्किम	34.23	27	201.63	46	0	0
26	तमिलनाडु	3265.67	7327	1210.39	6437	928.84	6183
27	तेलंगाना	3218.52	11369	5174.31	10777	5450.05	16773
28	त्रिपुरा	2014.62	2234	1695.98	569	615.47	356
29	उत्तराखंड	32.59	8	1.92	2	50.44	9
30	उत्तर प्रदेश	3.37	4	85.81	628	1343.52	4412
31	पश्चिम बंगाल	1526.59	4486	2233.75	8828	24130.38	56944

*अनंतिम

पीवीटीजी का विकास के तहत जारी की गई निधियां और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2023-24		2024-25	
		जारी निधि	यूसी प्रस्तुत किया गया	जारी निधि	यूसी प्रस्तुत किया गया
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
6	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
7	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
8	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
11	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
13	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
14	तमिलनाडु	0.00	0.00	2723.11	0.00
15	तेलंगाना	0.00	0.00	2746.87	0.00
16	त्रिपुरा	0.00	0.00	207.95	0.00
17	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	1631.05	0.00
	कुल योग	**0.00**	**0.00**	**7308.98**	**0.00**

पीएम जनमन के तहत एमपीसी के लिए जारी की गई निधियां और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2023-24 के दौरान जारी निधियां	यूसी प्रस्तुत किया गया	2024-25 के दौरान जारी निधियां	यूसी प्रस्तुत किया गया	2025-26 के दौरान जारी निधियां	यूसी प्रस्तुत किया गया	2025-26 में एसएनए एसपीएआरएसएच पर चुकता (बंद) किए गए बिल
आंध्र प्रदेश	14.97	14.97	5	4.9	27.52	-	7.15
बिहार	-	-	-	-	2.1	-	0
छत्तीसगढ़	8.52	7.9	-	-	-	-	7
गुजरात	1.66	-	4.37	-	-	-	2.10
झारखंड	0.62	0.62	1.5	-	16.42	-	4.51
कर्नाटक	3.33	3.33	10.26	10.26	15.4	14.47	14.81
केरल	2.29	-	-	-	-	-	0.88
मध्य प्रदेश	25.99	20.82	-	-	-	-	12.87
महाराष्ट्र	12.47	12.47	5	4.65	27.56	-	11.82
मणिपुर	-	-	-	-	3.3	-	0
ओडिशा	12.68	12.68	23.92	1	-	-	1.92
राजस्थान	3.33	3.33	3.44	1.91	-	-	1.29
तमिलनाडु	5.2	5.2	20.67	15.24	-	-	5.07
तेलंगाना	2.91		13.24		-	-	4.63
त्रिपुरा	4.57	4.57	7.5	7.5	-	-	5.76
उत्तर प्रदेश	0.83	-	-	-	-	-	1.08
उत्तराखंड	0.62	0.62	4.78	1.59	1.8	-	0.87
कुल	**99.99**	**86.51**	**99.68**	**47.05**	**94.1**	**14.47**	**81.74**

2023-24 से 2025-26 के दौरान 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' योजना के तहत जारी की गई निधियों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी निधि		
		2023-24	**2024-25***	**2025-26**
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	9.90
2	आंध्र प्रदेश	125.00	0.00	59.85
3	अरुणाचल प्रदेश	48.63	150.00	400
4	असम	0.00	270.00	90.13
5	बिहार	0.00	99.00	38.56
6	छत्तीसगढ़	250.00	1100.00	93.50
7	गोवा	50.57	200.00	150.41
8	गुजरात	0.00	250.00	0
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	125.00	99.00
10	जम्मू और कश्मीर	770.85	100.00	200.00
11	झारखंड	417.03	200.00	318.93
12	कर्नाटक	0.00	200.00	190.62
13	केरल	0.00	300.00	103.93
14	लद्दाख	0.00	99.00	0.00
15	मध्य प्रदेश	143.08	600.00	395.11
16	महाराष्ट्र	0.00	250.00	28.61
17	मणिपुर	0.00	140.00	259.25
18	मिजोरम	550.00	723.14	212.29
19	नागालैंड	400.00	600.00	287.69
20	ओडिशा	600.00	600.00	200.00
21	राजस्थान	0.00	0.00	368.00
22	सिक्किम	0.00	200.00	420.85
23	तमिलनाडु	25.00	300.00	2667.81
24	तेलंगाना	0.00	1300.00	49.22
25	त्रिपुरा	25.00	300.00	114.59
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	399.99
27	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	313.01
28	मेघालय	0.00	100.00	300.00
29	उत्तराखंड	948.01	793.86	339.22
	कुल	**4353.17**	**9000.00**	**8110.47**

***अनंतिम**

वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक डीएजेजीयूए से संबंधित निधि की स्थिति

(योजना 01.10.2024 को लागू की गई थी)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2024-25 में एसएनए के तहत जारी की गई निधि	2025-26 में एसएनए और एसएनए स्पर्श के तहत जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	0	6172.50
2	अरुणाचल प्रदेश		1873.75
3	असम	13519.69	1186
4	बिहार		682.28
5	छत्तीसगढ़	3654.74	1866
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	0	8792.28
8	हिमाचल प्रदेश	1368.73	47.60
9	जम्मू और कश्मीर	0	3921.00
10	झारखंड	0	11137.41
11	कर्नाटक	0	2877.50
12	केरल	0	1169.25
13	लद्दाख	0	50
14	मध्य प्रदेश	9136.88	6798.50
15	महाराष्ट्र	0	22388.08
16	मणिपुर	0	1748.25
17	मिजोरम	0	0
18	नागालैंड	678.40	483.80
19	ओडिशा	17422.80	1253.55
20	राजस्थान	0	8374.0
21	सिक्किम	0	974.38
22	तमिलनाडु	1987.75	230.50
23	तेलंगाना	0	4319.30
24	त्रिपुरा	0	1143.51
25	उत्तर प्रदेश	0	443.76
26	उत्तराखंड	0	146.11
27	पश्चिम बंगाल	0	442
	कुल	47768.99	88521.31

वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक ईएमआरएस की स्थापना और संचालन के लिए वर्ष-वार जारी की गई निधियां

लाख रुपये में

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (28.02.2026 तक)**
1.	आंध्र प्रदेश	10,795.05	23,669.35	22,990.25
2.	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर)	693.91	2,021.21	4,504.37
3.	असम (पूर्वोत्तर)	2,732.67	10,654.29	11,458.52
4.	बिहार	8.95	34.12	1,948.30
5.	छत्तीसगढ़	15,888.89	86,649.55	44,234.16
6.	दादरा और नगर हवेली	163.45	353.32	458.57
7.	गुजरात	15,667.55	27,444.15	23,065.08
8.	हिमाचल प्रदेश	829.76	1,616.71	1,505.72
9.	जम्मू और कश्मीर	891.40	824.19	1,564.64
10.	झारखंड	23,915.13	64,305.31	58,776.47
11.	कर्नाटक	2,677.67	7,933.24	4,416.73
12.	केरल	249.00	1,252.21	1,493.90
13.	लद्दाख	800.00	17.41	400.00
14.	मध्य प्रदेश	13,157.19	37,339.69	42,298.44
15.	महाराष्ट्र	8,525.91	30,489.87	20,122.96
16.	मणिपुर	3,044.92	2,397.58	15,755.94
17.	मेघालय (पूर्वोत्तर)	21,014.66	31,942.72	11,403.80
18.	मिजोरम	1,242.52	14,619.30	3,501.15
19.	नागालैंड	18,377.12	698.27	855.10
20.	ओडिशा	48,934.80	64,965.47	60,895.45
21.	राजस्थान	13,687.79	14,322.63	12,905.70
22.	सिक्किम	1,118.83	1,058.36	1,296.03
23.	तमिलनाडु	1,099.80	1,738.95	2,797.39
24.	तेलंगाना	14,276.17	16,813.70	16,063.43
25.	त्रिपुरा	6,670.35	11,728.87	17,687.35
26.	उत्तर प्रदेश	624.14	1,384.63	1,434.71
27.	उत्तराखंड	1,537.53	3,880.32	2,777.18
28.	पश्चिम बंगाल	1,869.70	1,789.50	900.00
कुल		**2,44,624.33**	**4,71,321.28**	**3,87,511.34**

जैसा कि संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक रिपोर्ट किया गया है, एनईएसटीएस की स्थापना के बाद से राज्य-वार और वर्ष-वार ईएमआरएस छात्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26 (06.03.2026 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	8810	9891	10710
2.	अरुणाचल प्रदेश	451	734	932
3.	असम	एनआर	एनआर	300
4.	बिहार	एनए	एनआर	286
5.	छत्तीसगढ़	21943	24767	27411
6.	दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव	300	346	408
7.	गुजरात	11066	11525	11878
8.	हिमाचल प्रदेश	794	902	1013
9.	जम्मू और कश्मीर	577	900	1181
10.	झारखंड	3202	3257	8380
11.	कर्नाटक	4236	4523	4437
12.	केरल	862	969	1065
13.	मध्य प्रदेश	23084	25056	25457
14.	महाराष्ट्र	9010	10092	11361
15.	मणिपुर	1435	1440	1723
16.	मेघालय	एनए	एनए	308
17.	मिजोरम	1197	1892	2399
18.	नागालैंड	712	744	747
19.	ओडिशा	9625	11530	13392
20.	राजस्थान	8375	9603	10885
21.	सिक्किम	1254	1248	1250
22.	तमिलनाडु	2226	2490	2909
23.	तेलंगाना	8194	9282	10182
24.	त्रिपुरा	1994	2094	2476
25.	उत्तर प्रदेश	652	890	1056
26.	उत्तराखंड	963	1105	1261
27.	पश्चिम बंगाल	2879	3056	3157
	कुल योग	**123841**	**138336**	**156564**
